न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **293/2021** दायर दिनाँक **08.11.2021**

वादी		**प्रतिवादी**
1.सहीराम पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी डाबडा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **25.02.2026**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 252 रकबा 0.0100 है. व खसरा संख्या 253 रकबा 0. 0300 है. खसरा संख्या 254 रकबा 11.6400है. खसरा संख्या 254/955 रकबा 0.0200 है. खसरा नम्बर 277 रकबा 0.0100 है. खसरा नम्बर 278 रकबा 0.0400 है. खसरा नम्बर 279 रकबा 0.0100 है खसरा नम्बर 280 रकबा 4.8800 है. वाके सरहद बेरी कलां में अवस्थित है। उक्त खसरान् की भूमि में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सांवरमल दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम सहीराम है जो सही एवं सत्य है। वादी के उक्त राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम गलत अंकित हो रखा है जबकि वादी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास पहचान पत्र आदि में वादी का नाम सहीराम अंकित है जो सही व सत्य है। वादी के पिता का गलत नाम अंकन होने से वादी को सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। तथा बैंक आदि से केसीसी लोन लेने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जिस कारण दावा रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

सरहद बेरी कलां के खेत खसरा संख्या 252 रकबा 0.0100 है. व खसरा संख्या 253 रकबा 0.0300 है. खसरा संख्या 254 रकबा 11.6400है. खसरा संख्या 254/955 रकबा 0.0200 है. खसरा नम्बर 277 रकबा 0.0100 है. खसरा नम्बर 278 रकबा 0.0400 है. खसरा नम्बर 279 रकबा 0.0100 है खसरा नम्बर 280 रकबा 4.8800 है. में वादी का नाम सांवरमल के स्थान पर सहीराम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक राजस्व/2022/250 दिनांक 19.12.[illegible] रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की [illegible] बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये ज[illegible] निवेदन किया, [illegible] अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड [illegible] अवलोकन किया गया। त[illegible] विधि का अध्ययन् किया। वादी अपना नाम सांवरमल के स्थान पर सहीराम दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:46:40 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट के अनुसार बलूराम की विरासत में दर्ज नामान्तकरण में सांवरमल पुत्र बलूराम दर्ज है जोकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है। वादी का नाम सहीराम अन्य दस्तावेज यथा पेनकार्ड जन आधार कार्ड में सहीराम पुत्र बलूराम दर्ज है। ये दोनों वयक्ति एक ही है तथा सहीराम पुत्र बलूराम सही है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

सरहद बेरी कलां के खेत खसरा संख्या 252 रकबा 0.0100 है. व खसरा संख्या 253 रकबा 0.0300 है. खसरा संख्या 254 रकबा 11.6400है. खसरा संख्या 254/955 रकबा 0.0200 है. खसरा नम्बर 277 रकबा 0.0100 है. खसरा नम्बर 278 रकबा 0.0400 है. खसरा नम्बर 279 रकबा 0.0100 है खसरा नम्बर 280 रकबा 4.8800 है. में वादी का नाम सांवरमल के स्थान पर सहीराम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 25.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:46:40 IST
Reason: SelfAttested